

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ/दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

**समस्त जोनल अपर आयुक्त / अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

महोदय,

आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित प्रकरणों जैसे- कर्मचारियों की ए0सी0पी0, समयमान वेतनमान, स्थायीकरण, सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के समस्त भुगतान, मृतक आश्रित की नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एवं अन्य सेवा सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों की सूचना / अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिस पर आयुक्त महोदया द्वारा समीक्षा की जानी है।

अतः अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त समस्त प्रकरणों की सूचना अधोहस्ताक्षरी को निम्न प्रारूप में ई-मेल- cta3combqlu-up@nic.in पर दिनांक 01-11-2022 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि आयुक्त महोदया को यथास्थिति से अवगत कराया जा सकें।

समस्त प्रकरणों का प्रारूप

क्रम सं०	जोन / जनपद	कर्मचारी का नाम / पदनाम	अनिस्तारित प्रकरण का विवरण	निस्तारित न होने का कारण	किस स्तर पर लम्बित
1	2	3	4	5	6

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं० व दिनांक उक्त।

1- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशा0)
उ0प्र0, लखनऊ।